

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:-

निर्णय दिनांक :-

उनवानी प्रार्थना पत्र :

..... श्री विन्दा विहारी बनाम तहसीलदार 29/08/20

उपस्थिति :-

..... श्री विन्दा विहारी

तहसीलदार 29/08/20

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी श्री विन्दा विहारी कन्या श्री विन्दा विहारी निवासी 3812011 ने प्रशासन गांवों के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम 382011 जमाबंदी सम्वत् 2024-27 के खाता संख्या 17 में दर्ज प्रार्थी का नाम श्री विन्दा विहारी कन्या श्री विन्दा विहारी के स्थान पर श्री विन्दा विहारी पुत्र श्री अमरचंद्र विहारी दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार 29/08/20 से कराई गई। तहसीलदार 29/08/20 ने पटवार हल्का 4165 व भू0अ0नि0 4165 की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंका की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार 29/08/20 से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार 29/08/20 को वाके ग्राम 3812011 जमाबंदी सम्वत् 2024-27 के खाता संख्या 17 में दर्ज श्री विन्दा विहारी कन्या श्री विन्दा विहारी के स्थान पर श्री विन्दा विहारी पुत्र श्री अमरचंद्र विहारी दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार 29/08/20 को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प 29/08/20 में सुनाया गया।

.....
उपखण्ड अधिकारी
देवली